



प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 05-08-2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-23949/CE-HQ1/RV(SH)/MBD/2026-27, दिनांक 23-07-2026, पत्र संख्या-23976/CE-HQ1/RV(SH)/VNS/2026-27, दिनांक 24-07-2026 एवं पत्र संख्या-23861/CE-HQ1/RV(SH)/PRJ/2026-27, दिनांक 21-07-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के अधोलिखित 03 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹ 2544.00 लाख (पच्चीस करोड़ चवालीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	खण्ड/जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/प्रावैधिक/बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
					अनु० सं०-58	अनु० सं०-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा०ख०-मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में मुरादाबाद हरिद्वार देहरादून मार्ग(एस०एच०-49)(राज्य मार्ग) के चैनैज 22.5000 से 36.000(लम्बाई 13.500 किमी०) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	5038.80 5038.80 1262.22 3776.58	1863.58	34.67	9.33	44.00
2	नि०ख० चन्दौली	जनपद चन्दौली में मोहनसराय पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग के किमी० 32.235 से 46.00 का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (ल०-13.765 किमी० एवं चौड़ाई 7.00 मी० से बढ़ाकर 2.....9 मी० किया जाना का कार्य।	19740.00 19740.00 85.89 19654.11	14930.90	1575.80	424.20	2000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3	प्रा0ख0- कौशाम्बी	जनपद कौशाम्बी में खनवारी आलापुर सिराधू धाता मार्ग चैनेज 13.780 (लेहदरी घाट) से 28.930(सैनी) तक (राज्य मार्ग स0-174) 02 लेन विद पेव्ड शोल्डर (ल0-14.800) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	3873.39 3714.00 760.61 2953.39	2125.69	393.95	106.05	500.00
		योग:-			2004.42	539.58	2544.00

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य केवल अनुमोदित/पुनरीक्षित सीमा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार ही सम्पन्न किया जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यान्वयन इकाई की होगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 2004.42 लाख (रुपये बीस करोड़ चार लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033370303 राज्य राज मार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 539.58 लाख (रुपये पांच करोड़ उन्तालीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890300 राज्य मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्यों हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 50प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, 50प्र0 शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 50प्र0 प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 50प्र0 प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, 50प्र0 शासन।
- 12- राज्य योजना आयोग-1/2, 50प्र0 शासन।
- 13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 50प्र0 शासन।
- 15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, 50प्र0 शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।